

MSP/04-10-81

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY,
PART – II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTEMENT OF REVENUE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22 May, 2015

S.O. (E).--- Whereas, a Protocol amending the Convention between the Republic of India and the Kingdom of Denmark for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital, and the Protocol on provisions on clarification of the Convention which were signed at Copenhagen on the 8th March, 1989 (hereinafter referred to as the said Protocol) as set out in the Annexure to this notification, was entered into between the Government of the Republic of India and the Government of the Kingdom of Denmark and was signed on the 10th day of October, 2013;


And whereas, the date of entry into force of the said Protocol is the 1st February, 2015, being the date of the first day of the month following the date of receipt of the later of the notifications of completion of the procedures as required for the bringing into force the said Protocol, in accordance with paragraph 1 of article 3 of the said Protocol;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Protocol between the Government of the Republic of India and the Government of the Kingdom of Denmark as set out in the Annexure hereto, shall be given effect to in the Union of India with effect from the first day of February, 2015.

MS. Rehbe
L
8/6/15

[Notification No. 45/2015

F.No. 503/02/1998-FTD-I]


(Akhilesh Ranjan)
Joint Secretary

PROTOCOL

2

AMENDING THE CONVENTION BETWEEN THE REPUBLIC OF INDIA AND THE KINGDOM OF DENMARK FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL, AND THE PROTOCOL ON PROVISIONS ON CLARIFICATION OF THE CONVENTION WHICH WERE BOTH SIGNED AT COPENHAGEN ON 8TH MARCH, 1989.

The Government of the Republic of India

And

the Government of the Kingdom of Denmark;

Desiring to conclude a Protocol (hereinafter referred to as "Amending Protocol") to amend the Convention between the Republic of India and the Kingdom of Denmark for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital, and the Protocol on provisions on clarification of the Convention which were both signed at Copenhagen on 8th March, 1989 and which entered into force on 13th June, 1989 (hereinafter referred to as "the Convention" and "the Protocol on provisions on clarification of the Convention" respectively);

Have agreed on the following provisions which shall have effect between India and Denmark and in accordance with the protocol extending the Convention to apply in its entirety to the Faroe Islands which was signed at Copenhagen on 8th March, 1989 also between India and the Faroe Islands:



Article 1

Article 26 of the Convention shall be deleted and replaced by the following Article:

"Article 26.

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents or certified copies of the documents) as is



foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities thereof, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both Contracting States and the Competent Authority of the Supplying State authorises such use.

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

- a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
- b) to supply information (including documents or certified copies of the documents) which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).



Handwritten signature and initials, possibly 'IA KW', located at the bottom left of the page.

4

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person."

Article 2

The following paragraph 3 shall be inserted after paragraph 2 of the Protocol to the Convention on provisions on clarification of the Convention:

"3. With reference to Article 26, it is understood that as stated in paragraph 9.1 of OECD commentary on Article 26, the new wordings (as per 2010 version) of Article 26 covers Tax Examinations Abroad."

Article 3

1. Each of the Contracting States shall notify to the other the completion of the procedures required as far as it is concerned for the bringing into force of this Protocol. The Protocol shall enter into force on the first day of the month following the date of receipt of the later of these notifications.


2. The provisions of this Protocol shall remain in force as long as the Convention remains in force.



AKW


Done in duplicate at Copenhagen on 10th October, 2013 in the Hindi, Danish and English languages, all three texts being authentic. In case of divergent interpretation of the Hindi and the Danish text the English text shall prevail.

For the Government of
Republic of India



(Niraj Srivastava)
Ambassador

For the Government of
Kingdom of Denmark



(Holger K. Nielsen)
Minister for Taxation



[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड -3, उप खंड ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 22 मई, 2015

का .आ. ----(अ).जबकि, भारत गणराज्य तथा डेनमार्क साम्राज्य के बीच आय एवं पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए अभिसमय तथा अभिसमय के स्पष्टीकरण संबंधी उपबंधों पर प्रातोकोल, जिन पर 8 मार्च, 1989 को कोपेनहेगेन में हस्ताक्षर किए गए थे, को संशोधित करने वाला एक प्रातोकोल (जिसे इसके बाद कथित प्रातोकोल कहा गया है) जो इस अधिसूचना के साथ संलग्नक में वर्णित है, भारत गणराज्य की सरकार तथा डेनमार्क साम्राज्य की सरकार के बीच प्रवृत्त हुआ था तथा इस पर अक्टूबर, 2013 की 10 तारीख को हस्ताक्षर किए गए थे;

और जबकि, उक्त प्रातोकोल के प्रवृत्त होने की तारीख 01 फरवरी, 2015 है, जो कि उक्त प्रातोकोल के अनुच्छेद 3 के पैरा 1 के अनुसार, इस प्रातोकोल को लागू करने के लिए यथा अपेक्षित प्रक्रियाओं की पूर्ति संबंधी अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की प्राप्ति की तिथि के बाद आने वाले माह के प्रथम दिन की तारीख है;

इसलिए, अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न अनुबंध में दिए अनुसार भारत गणराज्य की सरकार तथा डेनमार्क साम्राज्य की सरकार के बीच उक्त प्रातोकोल के सभी उपबंध भारत संघ में फरवरी, 2015 के प्रथम दिन से प्रभावी होंगे।

[अधिसूचना सं. 45/2015 फा.सं.503/02/1998-एफटीडी-1]

अखिलेश

(अखिलेश रंजन)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

प्रोतोकोल

आय पर तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए तथा अभिसमय के स्पष्टीकरण संबंधी उपबंधों पर प्रोतोकोल भारत गणराज्य तथा डेनमार्क किंगडम के बीच अभिसमय को संशोधित करने के लिए प्रोतोकोल द्वारा 8 मार्च, 1989 को कोपेनहेगन में हस्ताक्षर किये गये थे।

भारत गणराज्य की सरकार

और

डेनमार्क किंगडम की सरकार;

आय पर तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा डेनमार्क किंगडम की सरकार के बीच करार तथा करार के स्पष्टीकरण पर उपबंधों संबंधी प्रोतोकोल, जिन दोनों पर कोपेनहेगन में 8 मार्च 1989 को हस्ताक्षर किये गये थे और जिन्हें 13 जून, 1989 को लागू किया गया था (जिनको इसके बाद क्रमशः 'करार' तथा 'करार के स्पष्टीकरण पर उपबंधों संबंधी प्रोतोकोल' के रूप में उल्लेख किया गया है) को संशोधित करने के लिए प्रोतोकोल (इसे इसके बाद 'संशोधनकारी प्रोतोकोल' कहा जायेगा);

को निष्पन्न करने के इच्छुक निम्नलिखित उपबंधों पर सहमत हुए हैं जो भारत तथा डेनमार्क के बीच प्रभावी रहेंगे और फ़ेरोइ आइलैंड की इसकी अखण्डता में लागू करने में अभिसमय का बिस्तार करने में प्रोतोकोल के अनुसरण में जिसे भारत तथा फ़ेरोइ आइलैंड के बीच भी 8 मार्च, 1989 को कोपेनहेगन में हस्ताक्षर किया गया था :-

अनुच्छेद 1

अभिसमय के अनुच्छेद 26 का लोप कर दिया जाएगा और उसे निम्नलिखित अनुच्छेद से प्रतिस्थापित किया जाएगा :

अनुच्छेद 26

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना (दस्तावेजों अथवा कर प्राधिकारियों/सक्षम प्राधिकारी द्वारा दस्तावेजों की अधिप्रमाणित प्रतियों सहित) का आदान-प्रदान करेंगे जो कि इस करार के उपबंधों को अथवा संविदाकारी राज्यों अथवा उनके राजनैतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से लगाए गए प्रत्येक प्रकार एवं विवरण के करों के संबंध में घरेलू कानूनों के प्रशासन अथवा प्रवर्तन को क्रियान्वित करने के लिए अनुमानतः संगत हैं, जहां तक कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था इस करार के प्रतिकूल नहीं है। सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है।

2. संविदाकारी राज्य द्वारा इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के अंतर्गत प्राप्त की गई कोई सूचना उस राज्य के आंतरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त सूचना के समान ही गुप्त समझी जाएगी और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (जिसमें न्यायालय, प्रशासनिक निकाय, सीमाशुल्क, कानून प्रवर्तन एवं जांच प्राधिकरण शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित करों के संबंध में करों का निर्धारण या उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा अपीलों का निर्धारण करने या उपर्युक्त की चूक से संबद्ध हो। ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे ही प्रयोजन के लिए करेंगे। वे इस सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे। भले ही पूर्वोक्त सूचनाओं में कुछ भी कहा गया हो, संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई सूचनाएं दूसरे प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जा सकती हैं, जब ऐसी सूचनाओं का प्रयोग दोनों संविदाकारी राज्यों के कानूनों के तहत ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा सकता हो।

3. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा :

- क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना ;
- ख) ऐसी सूचनाओं की आपूर्ति करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है;
- ग) ऐसी सूचनाओं की आपूर्ति करना जिससे कोई व्यापार, कारोबार, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक, गुप्त अथवा व्यापार प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल हो।

4. इस अनुच्छेद के अनुसरण में यदि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया जाता है तो दूसरा संविदाकारी राज्य अनुरोध की गई जानकारी को प्राप्त करने के लिए अपनी सूचना एकत्र करने वाले उपायों का उपयोग करेगा, चाहे उस दूसरे संविदाकारी राज्य को अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए ऐसी सूचना की कोई आवश्यकता न हो। पिछले वाक्य में अन्तर्निहित दायित्व पैराग्राफ 3 की सीमाओं के अधीन है, किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसी सीमाओं का यह अर्थ नहीं होगा कि संविदाकारी राज्य केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करते हैं कि ऐसी सूचना में उसका कोई आंतरिक हित नहीं है।

5. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 3 के उपबंधों का अर्थ केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करने के लिए किसी संविदाकारी राज्य को अनुमति देने के लिए नहीं लगाया जाएगा कि सूचना किसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, किसी एजेंसी या किसी न्यासी क्षमता में कार्यरत नामिती या व्यक्ति के पास है या यह किसी व्यक्ति के स्वामित्व हित से संबंधित है।"

अनुच्छेद - 2

अभिसमय के स्पष्टीकरण पर उपबंधों संबंधी अभिसमय के प्रोटोकॉल के पैराग्राफ-2 के बाद निम्नलिखित पैराग्राफ-3 शामिल किया जायेगा:

“3 अनुच्छेद 26 के संदर्भ में यह समझा जाता है कि जैसा कि अनुच्छेद 26 पर ओ ई सी डी व्याख्या के पैराग्राफ 9.1 में बताया गया है, अनुच्छेद 26 के नये शब्दों (2010 व्याख्या के अनुसार) में विदेशी कर जांच शामिल है।”


अनुच्छेद - 3

1. संविदाकारी राज्यों में से प्रत्येक राज्य अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे को अधिसूचित करेंगे जैसा कि यह इस प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए संबंधित है। यह प्रोटोकॉल इन अधिसूचनाओं की परवर्ती अधिसूचना की प्राप्ति की तारीख के आने वाले माह की प्रथम तिथि से लागू होगा।


2. इस प्रोटोकॉल के उपबंध तब तक लागू रहेंगे जब तक अभिसमय लागू रहेगा।

कोपेनहेगन में 10 अक्टूबर, 2013 को हिन्दी, डेनिश और अंग्रेजी में दो मूल प्रतियों में निष्पादित किया गया और सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। हिन्दी, डेनिश पाठों में भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से


(नीरज श्रीवास्तव)
राजदूत

डेनमार्क किंगडम की
सरकार की ओर से


(होल्गर के. नीलसन)
टैक्स मंत्री

4/10/13